

The Research Dialogue

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
Volume-04, Issue-02, July-2025
www.theresearchdialogue.com



“नियमित विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन में सहायक तकनीकियों की भूमिका”

श्वेता मौर्या

शोधार्थी, शिक्षा विभाग, कला संकाय,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज-211002, उत्तर प्रदेश
ई-मेल – shweta.maurya15101@gmail.com

डॉ. संगीता सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, कला संकाय, इलाहाबाद
विश्वविद्यालय, प्रयागराज - 211002, उत्तर प्रदेश
ई-मेल- sangeetasingh@allduniv.ac.in

सारांश :

शिक्षा में सभी प्रकार के विद्यार्थियों का समावेशन एक व्यापक दृष्टिकोण को इंगित करता है। यह शैक्षिक प्रक्रिया में विद्यार्थियों की पूर्ण भागीदारी, समान व सुलभ पहुँच तथा शैक्षिक अवसरों की समानता पर जोर देता है। नियमित विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों का समावेशन अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य सभी प्रकार की विद्यार्थियों को शैक्षिक प्रक्रिया में जोड़ना व मुख्यधारा में शामिल करना है। दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन में सहायक तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सहायक तकनीकी से आशय एक ऐसी तकनीक से है जिसका उपयोग दिव्यांग विद्यार्थी उन कार्यों को करने के लिए करते हैं, जो उनके लिए कठिन या असंभव प्रतीत होते हैं। नियमित विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के सर्वसुलभ पहुँच, सामान भागीदारीता हेतु सहायक तकनीकियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सहायक तकनीकियों के उपयोग से दिव्यांग विद्यार्थियों के स्वतंत्र अधिगम में वृद्धि होती है। इसी क्रम में नई शिक्षा नीति (2020) दिव्यांग विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए व समान अवसर प्रदान करने वाले सक्षम तंत्र बनाने के महत्व को स्वीकार करती है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (2016) द्वारा सरकार यह निर्देशित किया गया है की सभी शिक्षण संस्थान दिव्यांग विद्यार्थियों को 18 वर्ष की आयु तक पुस्तकें, शिक्षण-सामग्री व समुचित सहायक युक्तियाँ निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएं। प्रस्तुत शोध पत्र के मुख्यतः तीन भाग होंगे- प्रथम भाग में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की सहायक तकनीकियों का अध्ययन किया जायेगा तत्पश्चात दूसरे भाग में समावेशी कक्षाओं में दिव्यांग विद्यार्थियों के पूर्ण भागीदारीता में सहायक उपकरणों के भूमिका का अध्ययन किया जायेगा तथा अंतिम भाग में समावेशी कक्षाओं में सहायक उपकरणों के उपयोग की सीमाओं का अध्ययन किया जाएगा। प्रस्तुत शोध पत्र की शोध प्रविधि व्यवस्थित साहित्य समीक्षा होगी, जिसके लिए सरकारी दस्तावेजों, अधिनियम व योजनाओं, शोध पत्रिकाओं, शोध लेखों, पुस्तक समीक्षा व सरकारी प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। शोध अध्ययन से स्पष्ट होता है की नियमित विद्यालयों में सहायक तकनीकियां दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हो सकती है इनके उपयोग द्वारा विद्यालय तक सुलभ पहुँच, दैनिक व विद्यालयी गतिविधियों में आसानी होती ही है एवं दिव्यांग विद्यार्थियों का कक्षा में भागीदारीता व समावेशन बढ़ता है। सहायक तकनीकी के उपयोग में कई बाधक तत्व हैं जिनमें मुख्यतः सहायक तकनीकों की अनुपलब्धता, शिक्षण प्रशिक्षण की कमी, सहायक उत्पादों के संबंध में अल्प जागरूकता इत्यादि।

मुख्य शब्द - सहायक तकनीकी, समावेशन, दिव्यांग विद्यार्थी

प्रस्तावना:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में निर्दिष्ट समावेशन के अधिदेश का पालन करते हुए कार्य योजना अधिनियम (1992) में सिफारिश की गई है कि गतिविषयक और हल्की दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों को बुनियादी संचार व दैनिक जीवन के कौशल प्राप्त करने के बाद नियमित स्कूलों में शामिल किया जाना चाहिये। दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति (2006) के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति देश के लिए मूल्यवान मानव संपसाधन है तथा यह नीति ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करती है जो उन्हें समान अवसर, उनके अधिकारों की सुरक्षा समाज में पूर्ण भागीदारीता प्रदान करें। इस नीति में कुछ केंद्रीय क्षेत्र है - सहायक उपकरणों का विकास दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा, बाधामुक्त वातावरण का आश्वासन व अनुसंधान को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2009) के अनुसार आधारभूत संरचना एवं शिक्षणशास्त्रीय विधियों में पर्याप्त बदलाव की आवश्यकता है। दृष्टिबाधित व शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए स्कूल की इमारतों में पहुँच और प्रावधान होना चाहिए (साहू एण्ड प्रधान, एन.डी.)। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम में वर्णित किया गया था कि “समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी वाक् शक्ति, संप्रेषण या भाषा दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के दैनिक संप्रेषण की आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए किसी की स्वयं की वाक् शक्ति के उपयोग की अनुभूति के लिये संप्रेषण, ब्रेल और सांकेतिक भाषा के साधनों और रूपविधानों सहित समुचित संवर्धी अनुकल्पी पद्धतियों के प्रयोग का संवर्धन करने का उपाय करेंगी तथा संदर्भित दिव्यांग विद्यार्थियों को 18 वर्ष की आयु तक पुस्तकें, अन्य विद्या समाग्री और समुचित सहायक युक्तियाँ निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी” (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016, पी. 11-12) “दिव्यांग बच्चों की पहुँच सुनिश्चित करने के दृष्टि से एक बच्चे के साथ एक शिक्षक, सहपाठी शिक्षण, मुक्त विद्यालयी शिक्षा, उचित बुनियादी ढांचा और उपयुक्त तकनीक का प्रयोग विशेष रूप से प्रभावित हो सकता है” (एनईपी 2020, पी. 40)। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्री एसेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल (प्रशास्त) का आरंभ किया गया है जो आरपीडब्ल्यूडी 2016 में निर्दिष्ट 21 दिव्यांगताओं के लिए दिव्यांगता जांच सूची पुस्तिका प्रदान करती है तथा एनसीईआरटी द्वारा श्रवण बाधित दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग के सिद्धांतों का पालन करते हुए भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) में शिक्षण अधिगम संसाधन विकसित किये हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद / फीटिंग के लिए दिव्यांगजनों को भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) द्वारा 18 वर्ष से कम आयु एवं विद्यालय जाने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को सहायक यंत्र एवं सहायक उपकरणों का वितरण किया जाता है। सहायक तकनीकी का उपयोग दिव्यांग विद्यार्थियों की कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ाने व उनमें सुधार करने के लिये किया जाता है। सहायक तकनीकियां दिव्यांग विद्यार्थियों को स्वतन्त्र बनाती हैं जिससे वे दैनिक जीवन की सभी गतिविधियों को आसानी से कर लेते हैं। सहायक तकनीकी के उपयोग द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों को आत्मविश्वास, आत्मनिर्णय और सामाजिक कौशल विकसित होता है (जगोटा, 2018)।

उपर्युक्त कथनों से स्पष्ट है कि दिव्यांग विद्यार्थियों का नियमित विद्यालयों में समावेशन पर शोध कार्य करने की आवश्यकता है। दिव्यांग विद्यार्थियों के विद्यालयों तक सुलभ पहुँच, कक्षा में पूर्ण भागीदारीता, पाठ्य पुस्तकों का सुचारु रूप से अध्ययन करने व समावेशन के लिये सहायक तकनीकियां अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए यह अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है जिसके माध्यम

से दिव्यांग विद्यार्थियों के दैनिक एवं विद्यालयी गतिविधियों में सहायक तकनीकियों को भूमिका स्पष्ट हो सकेगी एवं सहायक तकनीकों की प्रभावशीलता व सीमाओं का अध्ययन किया जा सकेगा।

शोध के उद्देश्य

1. दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की सहायक तकनीकियों का अध्ययन करना।
2. समावेशी कक्षाओं में दिव्यांग विद्यार्थियों के पूर्ण भागीदारिता में सहायक उपकरणों के भूमिका का अध्ययन करना।
3. समावेशी कक्षाओं में सहायक उपकरणों के उपयोग की सीमाओं का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र की शोध प्रविधि व्यवस्थित साहित्य समीक्षा होगी, जिसके लिए सरकारी दस्तावेजों, अधिनियम व योजनाओं, शोध पत्रिकाओं, शोध लेखों, पुस्तक समीक्षा व सरकारी प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी।

चर्चा :-

विभिन्न प्रकार की सहायक तकनीकियां

दिव्यांग विद्यार्थियों के नियमित स्कूलों में समावेशन से तात्पर्य ऐसी स्कूली शिक्षा प्रणाली से है जो दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु विशेष विद्यालयों व कक्षाओं के उपयोग को अस्वीकार करती है। समावेशन का यह दृष्टिकोण दिव्यांग विद्यार्थियों के पूर्ण भागीदारिता व सामाजिक, नागरिक व शैक्षिक अधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देता है (मुखोपाध्याय, 2020)। वैश्विक स्तर पर एक अरब से अधिक लोगों को सहायक तकनीकी की आवश्यकता है परंतु दस प्रतिशत लोग ही सहायक तकनीकी का उपयोग कर पाते हैं। सहायक तकनीकी, सहायक उत्पादों और सहायक उत्पादों से संबंधित सेवाओं और प्रणालियों के लिए एक व्यापक शब्द है। दिव्यांग विद्यार्थियों तक सहायक तकनीकी की उपलब्धता एक मानवाधिकार है और यह समान अवसरों व भागीदारिता के लिए पूर्व भी है। सहायक तकनीकियों की उपलब्धता से दिव्यांग विद्यार्थियों को कई लाभ होते हैं - इनके उपयोग से शिक्षा तक पहुँच, खेल एवं नागरिक जीवन में भागीदारिता तथा रोजगार के लिये अवसर मिलते हैं। दिव्यांग विद्यार्थियों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इसीलिए सहायक उत्पादों के अधिक समायोजन व प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है (डब्ल्यूएचओ एंड यूनीसेफ, 2022)। “विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को कुछ सहायक उपकरण, उपयुक्त तकनीकी आधारित उपकरण, भाषा उपयुक्त शिक्षण सामग्री जैसे- बड़े प्रिंट और ब्रेल प्रारूपों में सुलभ पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाए जाएंगे। यह कला, खेल और व्यावसायिक शिक्षा व सभी स्कूली गतिविधियों पर भी लागू होगा। स्कूल जाने में असमर्थ गंभीर और गहन दिव्यांगता वाले बच्चों के लिये गृह आधारित शिक्षा के रूप में एक विकल्प उपलब्ध रहेगा” (एनईपी 2020, पी. 42)। एनसीईआरटी द्वारा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की समावेशिता के लिए स्पर्शनीय मानचित्र पुस्तक विकसित की गयी है, जो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों हेतु अतिउपयोगी है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा पीएम -ई विद्या विकसित किया गया है, जिसमें 12 डीटीएच चैनल (एक कक्षा एक चैनल) के माध्यम से दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक सामग्री, ऑडियो व वीडियो प्रारूप में उपलब्ध है।

सहायक तकनीकियों के विभिन्न प्रकार :

विभिन्न प्रकार की सहायक तकनीकियों का उपयोग प्रत्येक दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए लाभदायक हो सकता है। सहायक तकनीकियों का चुनाव दिव्यांग विद्यार्थियों द्वारा किये जाने वाले कार्य व स्थिति के अनुसार किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई सहायक उत्पाद किसी के लिए उपयोगी हो सकता है तो किसी अन्य हेतु अनुपयोगी हो सकता है।

- श्रवण बाधित दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सहायक तकनीकी - सहायक श्रवण उपकरणों का उपयोग श्रवण क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। भारतीय कक्षाओं में अधिकांश विद्यार्थियों के श्रवण हानि का निदान किया जाता है, क्योंकि उनके कार्य करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न होती है।

1. श्रवण यंत्र - श्रवण यंत्र का उपयोग करने के कई तरीके होते हैं - कान के पीछे, कान में, शरीर पर पहने जाने वाला आदि। विद्यालयी विद्यार्थियों के लिए अधिकतर पोस्टऑरिकुलर श्रवण सहायता यंत्र का उपयोग किया जाता है।

2. फ्रीक्वेंसी मॉड्युलेटेड (एफएम) अनुप्रयोग प्रणाली - इसके उपयोग द्वारा परिवेश शोर कम हो जाता है, जिससे शिक्षक और विद्यार्थी बिना किसी व्यवधान के आसानी से संवाद कर सकते हैं।

3. कोक्लियर प्रत्यारोपण - इसका उपयोग मध्यम से लेकर गंभीर श्रवण हानि वाले दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए किया जाता है, यह परिवेश शोर को कम करता है।

इन सभी सहायक उपकरणों के अतिरिक्त हेडफोन, प्रवर्धित टेलीफोन श्रवण लूप इत्यादि का उपयोग दिव्यांग विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है।

- दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए सहायक तकनीकी - दृष्टिबाधित शब्द दृश्य क्षमताओं एवं आवश्यकताओं की एक विस्तृत श्रृंखला का वर्णन करता है।

1. अभिवर्धित लिखित सामग्री - इसका उपयोग उन विद्यार्थियों के लिए किया जाता है जिनमें कुछ दृश्य क्षमताएं बची हुई हो। लिखित सामग्री के आकार को बढ़ा देने से दिव्यांग विद्यार्थियों को आसानी होती है।

2. ब्रेल - यह एक ऐसा उपकरण है जो साक्षरता कौशल के लिए आवश्यक है। ब्रेल सीखने से विद्यार्थियों को वर्तनी व व्याकरण, वाक्य संरचना जैसे लिखित भाषा के पहलुओं को अनुभव करने की अनुभूति मिलती है, और यह लिखित भाषा हेतु मूल्यवान आधार भी देता है।

3. ब्रेल लेखन उपकरण - ब्रेल लिपिकरण के उपयोग द्वारा विद्यार्थियों को शब्दावली, व्याकरण, वर्तनी पढ़ने को सुदृढ़ किया जाता है, साथ ही साथ यह विद्यार्थियों की स्वतंत्रता व अभिविन्यास को भी बढ़ाता है।

4. अनुकूल कागज - कम दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए गहरे रंग की रेखाओं, उभरी हुई रेखाओं या रंगों के उपयोग द्वारा निर्मित अनुकूली कागज की सहायता से लेखन में काफी सुधार होता है

5. स्क्रीन रीडर - इसके उपयोग द्वारा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पाठ सामग्रियों का अध्ययन करने में सुविधा होती है। जेएसडब्ल्यूएस (जॉब एक्सेस विद स्पीच) एक ऐसा स्क्रीन रीडर है जिसके उपयोग द्वारा पाठ्य व डिजिटल सामग्री तक पहुँच आसान हो जाती है।

6. बड़े प्रिंट की पुस्तकें व सामग्रियां - कम दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए बड़े प्रिंट की पुस्तकों व सामग्रियों के उपयोग से पठन – पाठन अतिसुलभ व आसान हो जाता है।

इसके अतिरिक्त दृष्टिबाधित विद्यार्थियों द्वारा ऑडियो पुस्तकें, मैग्निफायर, ब्रेल एंबासर्स, चश्मा, जीपीएस आधारित नेविगेशन उपकरण, ऑडियो रिकॉर्डर, ऑडियो प्ले बुक इत्यादि सहायक उपकरणों का उपयोग किया जाता है।

- गतिविषयक संबंधी दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सहायक तकनीकी

1. व्हीलचेयर - व्हीलचेयर के उपयोग से दिव्यांग विद्यार्थियों को दैनिक गतिविधियाँ करने में सुविधा होती है।

2. प्रोस्थेटिक कृत्रिम - ऐसे दिव्यांग विद्यार्थी जो चोट, बीमारी, जन्मजात स्थिति या किसी अन्य कारणवश अंग को खो देते हैं, ऐसे उपकरणों के माध्यम से उन्हें अपने कार्यों को करने में आसानी होती है।

3. साथी वाकर – यह गतिविषयक संबंधी दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए स्वचालित गतिशीलता उपकरण है।

गतिविषयक दिव्यांगता से ग्रसित दिव्यांग विद्यार्थी इसके अतिरिक्त चलने की छड़ी, बैशाखी, ट्राइसाइकिल, कृत्रिम पैर व हाथ इत्यादि सहायक उपकरणों का उपयोग करते हैं।

- सीखने संबंधी दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सहायक तकनीक

1. इलेक्ट्रॉनिक कार्यपत्रक - डिक्लेक्सिया जैसी सीखने की अक्षमता वाले विद्यार्थी इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट का उपयोग अपने कार्य को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। इसके उपयोग से शब्दों, समीकरणों एवं संख्या को पंक्तिबद्ध करने में मदद मिलती है।

2. ध्वनि पुस्तक - ऑडियोबुक में पुस्तकें विभिन्न प्रारूपों जैसे ऑडियो, कैसेट, सीडी, एमपी थ्री, डाउनलोड आदि में रिकार्ड की जाती हैं, जिससे उपयोगकर्ता पाठ को सुन सकते हैं।

3. टॉकिंग कैलकुलेटर - डिस्कैलकुलिया से ग्रसित विद्यार्थियों के लिए टॉकिंग कैलकुलेटर का उपयोग अधिक लाभदायक होता है, इसके उपयोग से विद्यार्थियों को संख्या पढ़ने व गणना करने में सुविधा होती है। (जगोटा 2018; डब्ल्यूएचओ एंड यूनीसेफ 2015)

सहायक तकनीकी की सभी तक पहुँच के लिए आवश्यक है कि अधिकार आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाए, जिससे उपयोगकर्ता सहायक तकनीक के सभी पहलुओं को समझ सकें एवं सक्रिय रूप से अपना सकें। (डब्ल्यूएचओ एंड यूनीसेफ 2022) वर्तमान समय में भारत सहायक उपकरण एवं सहायक तकनीकी सेवाओं की संगठित प्रणाली की कमी से ग्रस्त है, जिनमें सहायक उत्पादों का कम उत्पादन, योजनाओं का अभाव, सहायक तकनीकी कार्य बल की कमी, सहायक तकनीक आवश्यकता की अज्ञात स्थिति एवं खराब राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय समन्वय शामिल है। इन सबके अतिरिक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से अपर्याप्त एवं उच्चतम स्तर पर प्रशासन की कमी से सहायक तकनीक सेवाएं ग्रस्त हैं (सेनजम एण्ड मन्नान, 2023)। सहायक तकनीकी उपकरणों को व्यापक एवं

प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उपयुक्त मूल्यांकन उपकरण व मार्गदर्शक सामग्री तैयार की जाए एवं वर्तमान सहायक तकनीकी मॉडल के आधार पर नवीनतम सहायक तकनीकी मॉडल का नमूना तैयार किया जाए (एर्देम, 2017) समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह अतिआवश्यक है कि विशेष आवश्यकता वाले सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली उपयुक्त सहायक तकनीकी उपलब्ध कराई जाए (सुवाह्यो, सेत्योसारी, एंड प्राहेर्धियोनो, 2021)।

समावेशी कक्षाओं में दिव्यांग विद्यार्थियों के पूर्ण भागीदारिता में सहायक उपकरणों की भूमिका

“आरपीडब्ल्यूडी 2016 के अध्याय तीन में वर्णित किया गया कि दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकरण दिव्यांग विद्यार्थियों के शिक्षा को स्तरों एवं पूर्णता में उनकी भागीदारी एवं प्रगति को मॉनीटर करने का प्रयास करेंगी एवं दिव्यांग विद्यार्थियों के परिचर के लिए परिवहन सुविधाएं भी उपलब्ध करायी जायेंगी” (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016, पी. 11) दुनिया में दिव्यांग विद्यार्थियों को बहिष्कृत बच्चों की दृष्टि से देखा जाता है। दिव्यांग विद्यार्थियों के बड़े होने पर उनकी स्वास्थ्य की स्थिति खराब होने, कम शिक्षा मिलने एवं कम आर्थिक अवसर मिलने की संभावना रहती है। दिव्यांग विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में अधिक गरीबी एवं असमानताओं का सामना करने की अधिक संभावना रहती है, साथ ही दिव्यांग लड़कियों को लिंग, जातियता व गरीबी जैसे अन्य जटिल कारकों द्वारा अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। दिव्यांग विद्यार्थियों को अक्सर अलग - थलग और बहिष्कृत कर दिया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवाओं से वंचित कर दिया जाता है एवं परिवार, विद्यालय एवं सामुदायिक जीवन में प्रतिभाग करने का सीमित अवसर दिया जाता है। इसके विपरीत दिव्यांग विद्यार्थियों को अन्य विद्यार्थियों की तरह विकास के समान अवसर दिए जाये तो वे संतुष्टि पूर्ण जीवन जी सकते हैं और अपने परिवार, व समुदाय को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर पर योगदान दे सकते हैं (डब्ल्यूएचओ, यूनीसेफ 2015)। सहायक तकनीकी ऐसे संसाधनों एवं उपकरणों का एक संग्रह है, जिसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांग विद्यार्थियों के सीखने से संबंधित बाधाओं को दूर करने में सहायता करना है, जिससे उन्हें अपनी सम्पूर्ण क्षमता का एहसास हो सके (अब्देलवाहाब, अल-करावी, एंड सेमारी, 2025)। सहायक तकनीक उन दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी होती है जिनमें शारीरिक एवं बौद्धिक दिव्यांगताओं की एक विस्तृत श्रृंखला है। सहायक तकनीकियों के उपयोग से उनकी शैक्षिक एवं सामाजिक वातावरण में भागीदारिता बढ़ती है, समावेशी परिवेश में सहायक तकनीकी के उपयोग की प्रभावशीलता पर किए गए अध्ययन में सत्यापित किया है कि सहायक तकनीकी को कक्षा में प्रभावी ढंग से लागू करने में शिक्षक की क्षमता महत्वपूर्ण है (अलहरबी, 2016)। कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों की सुविधा के लिए सहायक तकनीकी एक महत्वपूर्ण साधन हो सकती हैं। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सहायक तकनीकियों तक पहुँच शैक्षिक असमानता को कम करने में मदद कर सकती है (सुवाह्यो, सेत्योसारी, एंड प्राहेर्धियोनो, 2021)। सहायक तकनीकी दिव्यांग विद्यार्थियों के सीखने के वातावरण, अध्ययन एवं भागीदारिता को बेहतर बनाने में सक्षम है। विद्यालय में शारीरिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों को स्कूल के भवनों का उपयोग करने एवं श्रवण दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों को संचार के लिए सहायक तकनीकी की अधिक आवश्यकता होती है (लर्सिल्ट्प, पुथिनोई, एंड लर्सिल्ट्प, 2018)। सहायक तकनीकियां दिव्यांग विद्यार्थियों के सीखने में सुधार करती हैं एवं स्वतंत्र रूप से सीखने में मदद हैं सहायक तकनीकी उपकरणों में दिव्यांग विद्यार्थियों को विभिन्न तरीकों से शिक्षा प्रदान करने की क्षमता है (अलशबाब एण्ड अलहरबी 2019)। सीखने संबंधी दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के सभी स्तरों पर कंप्यूटर और अन्य तकनीकियों का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। सहायक तकनीकियों के उपयोग से

दिव्यांग विद्यार्थियों के जीवन में कई लाभ व सुधार हुए हैं तथा कई विद्यार्थियों को विभिन्न शैक्षिक और संज्ञानात्मक कार्यों को करने में अनेक विकल्प मिलते हैं (अडेबिसी, लिमान, एंड लॉन्गपो, 2015)। सहायक तकनीकियों के उपयोग से कक्षा में कई लाभ हो सकते हैं - यह दिव्यांग विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे दिव्यांग विद्यार्थी को अधिक स्वतंत्रता और जीवन की बेहतर गुणवत्ता मिल सके। सहायक तकनीकी दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सहायक उपकरण होते हैं, ये शिक्षकों एवं विद्यार्थियों दोनों को अविस्मरणीय सीखने का अनुभव प्रदान करती हैं (अहमद, 2018)। सहायक उपकरणों के उपयोग से दिव्यांग विद्यार्थियों को अनेक लाभ होते हैं - शैक्षिक उपलब्धियों में वृद्धि, सामाजिक विकास में सहायता, संचार संवर्धन, विद्यार्थियों को स्वतंत्र बनाना एवं शैक्षिक या सामाजिक वातावरण में परस्पर संवाद इत्यादि (जगोटा, 2018)। सहायक तकनीकी दिव्यांग विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास व जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे - संचार, गतिशीलता, स्व-देखभाल, घरेलू कार्य, पारिवारिक संबंध, शिक्षा एवं खेल तथा मनोरंजन में भागीदारिता बढ़ाती हैं (डब्ल्यूएचओ एंड यूनीसेफ 2015)। सीखने का यूनिवर्सल डिजाइन (यूडीएल) शिक्षण सामग्री और पाठ्य सामग्री को संदर्भित करता है यह विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले विभिन्न क्षमताओं वाले विद्यार्थियों को शैक्षणिक सामग्री की सुलभ पहुँच के दिशानिर्देशों का पालन करता है (अलहरबी, 2016)। यूडीएल के सिद्धांतों को लागू करने से सहायक तकनीक का उपयोग दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु अधिक सुलभ हो जाता है। सहायक तकनीकी में प्रौद्योगिकी का उपयोग छात्रों को व्यक्तिगत स्तर पर पाठ्यक्रम व सीखने के वातावरण में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए जाता है, जबकि यूडीएल का उपयोग ऐसे पाठ्यक्रम व वातावरण को बनाने के लिए किया जाता है, जो सीखने में आने वाली बाधाओं को कम कर सके (जगोटा, 2018)। सहायक तकनीकों के सफल कार्यान्वयन के लिए शिक्षकों का ज्ञान, मनोवृत्ति व उपयोग की जिम्मेदार लेना अतिमहत्वपूर्ण है (जेकब, ओलोगबोसेरे, ओन्येमाह, एंड एनीयोलोरंडा, 2023)। सहायक उत्पादों के उपयोग से स्वास्थ्य, भागीदारिता व समावेशन तो बेहतर होता ही है, साथ ही साथ इससे परिवार एवं समाज को भी लाभ मिलता है (डब्ल्यूएचओ एंड यूनीसेफ 2022)। सहायक तकनीकी सीखने की अक्षमता वाले विद्यार्थियों को सीखने में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकती है। सहायक तकनीकी विद्यार्थियों के प्रेरणा को बढ़ा सकती है, सहपाठियों की स्वीकृति की भावना को भी बढ़ा सकती है तथा कक्षा एवं घर पर उत्पादकता में सुधार कर सकती है (अडेबिसी, लिमान, एंड लॉन्गपो, 2015)।

समावेशी कक्षाओं में सहायक उपकरणों के उपयोग की सीमाएं

दुनिया भर में अनुमानतः 18 वर्ष से कम आयु के 150 मिलियन से अधिक दिव्यांग बच्चे हैं। दिव्यांग बच्चों को उम्र, लिंग, सामाजिक स्थिति, भाषा, जातीयता, धर्म के आधार पर भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है तथा अक्सर शैक्षणिक, सामाजिक, सामुदायिक भागीदारी का लाभ उठाने में अनेक चुनौतियां आती हैं। दिव्यांग विद्यार्थियों के प्राथमिक विद्यालय की पढ़ाई पूर्ण करने की दर बिना दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों को तुलना में कम है। अधिकतर मामले में सहायक तकनीकी की विद्यालयों में पहुँच की कमी को योगदान कारक रूप में देखा गया है (डब्ल्यूएचओ एंड यूनीसेफ 2015)। सहायक तकनीक की सफलता और प्रयोज्यता उसके वास्तविक उपयोग से माफी जाती है। सहायक तकनीकी उपकरणों के समावेशी कक्षाओं में प्रत्यक्ष भागीदारी हेतु आवश्यक है कि वे आवश्यकता आधारित हो, उपयोग व रखरखाव करने में आसान हो तथा उनका क्रय सस्ता हो (अहमद, 2015)। ऐसे दिव्यांग विद्यार्थी जो सहायक तकनीकियों के बारे में जानते हैं पर उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं उनकी मुख्य बाधा सहायक तकनीकियों की अनुपलब्धता

व आर्थिक मजबूरी है (सेनजम एण्ड बसकारन, 2020)। सहायक तकनीकियों को अपनाने में आने वाली प्रमुख बाधाओं में अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण, सहायक तकनीकों के बारे में सीमित जागरूकता, सहायक तकनीकों की अनुपलब्धता और लागत आदि शामिल हैं (अब्देलवहाब, अलकरावी, एंड सेमरी 2025)। समावेशी कक्षाओं में सहायक उपकरणों के उपयोग में अत्यधिक बाधाएं आती हैं जैसे - शिक्षक प्रशिक्षण का अभाव, सहायक उपकरणों के उपयोग के संबंध में मनोवृत्ति, धन की कमी, जागरूकता का अभाव आदि (जगोटा, 2018)। सहायक तकनीकियों के समावेशी कक्षाओं में उपयोग के कई चुनौतियाँ व सीमाएँ हैं - वित्त और प्रशिक्षण संस्थान में कमी, आंकड़ों की गोपनीयता, और छात्रहित से संबंधित नैतिक विचार, नीति कार्यान्वयन में चुनौतियाँ, प्रौद्योगिकी के प्रभाव का आकलन करने में कठिनाइयाँ इत्यादि। इन चुनौतियों के बावजूद समावेशी कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए समावेशी शिक्षण वातावरण बनाने की आवश्यकता है (जेकब, ओलोगबोसेरे, ओन्येमाह, एंड एनीयोलोरुंडा, 2023)। सामान्य शिक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के प्रभावी समावेशन के लिए सहायक तकनीकी का उपयोग समान उच्च मानकों एवं प्रभावी निर्देश से जुड़े मुद्दों पर कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे उनकी दिव्यांगता को दूर करने के लिए उनकी क्षमताओं को अधिक स्थान दिया जा सके। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विद्यालय परिवेश के साथ-साथ घर पर भी सहायक तकनीक अनुप्रयोगों एवं अनुकूल पर विचार किया जाना चाहिये, जिससे दिव्यांग विद्यार्थियों को निर्णय लेने एवं कार्यान्वयन प्रक्रिया में समान रूप से भागीदारी बनाया जा सके (अहमद, 2015)। सहायक उत्पादों को कई कारक प्रभावित करते हैं जैसे- व्यक्ति की कार्यात्मक क्षमता, जागरूकता का स्तर, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, जीवन यापन का संदर्भ और पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया इत्यादि (डब्ल्यूएचओ एंड यूनीसेफ 2022)। विशेष शिक्षा में स्नातक और परास्नातक प्रशिक्षण शिक्षा कार्यक्रम में अध्ययनरत न सेवापूर्व शिक्षकों को सहायक तकनीकी और कंप्यूटर के उपयोग की जानकारी एवं कौशल प्रदान किया जाना चाहिए। शिक्षा में सहायक तकनीकियों के उपयोग और मॉडलों के विकास के लिए आवश्यक है कि वर्तमान में उपलब्ध सहायक तकनीक मॉडलों का विश्लेषण किया जाए (एर्देम, 2017)। सहायक तकनीकियों को कक्षा में प्रदान किए जाने का समर्थन शिक्षक तभी करेंगे जब वे दिव्यांगता को न केवल स्वीकार करेंगे बल्कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए सहायक तकनीक का लाभ उठाने की क्षमता को भी स्वीकार करेंगे (अहमद, 2018)। सहायक तकनीकियों तक पहुंचने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है जिनमें मुख्य हैं - जागरूकता एवं सामर्थ्य की कमी, सेवाओं की कमी, उत्पादों की अल्प गुणवत्ता, अल्प मात्रा व प्रसार तथा उत्पादों की अनुपलब्धता एवं आपूर्ति श्रृंखला इत्यादि (डब्ल्यूएचओ एंड यूनीसेफ 2022)। सहायक तकनीकियों के सफल कार्यान्वयन के लिए शिक्षकों का ज्ञान, मनोवृत्ति व उपयोग की जिम्मेदारी लेना अतिमहत्वपूर्ण है (जेकब, ओलोगबोसेरे, ओन्येमाह, एंड एनीयोलोरुंडा, 2023)। सहायक तकनीकी की सभी तक पहुंच के लिए आवश्यक है कि अधिकार आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाए, जिससे उपयोगकर्ता सहायक तकनीक के सभी पहलुओं को समझ सकें एवं सक्रिय रूप से अपना सकें (डब्ल्यूएचओ एंड यूनीसेफ 2022)।

निष्कर्ष

नियमित विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन हेतु सहायक तकनीकों को महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सहायक तकनीकियों के उपयोग द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों को अधिगम में आने वाली कठिनाइयों का समाधान आसानी से हो जाता है। सहायक तकनीकियों का सही व उचित प्रयोग दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हो सकता है क्योंकि सहायक तकनीकियों के उपयोग द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों की विद्यालय तक पहुँच, भागीदारिता व समावेशिता बढ़ती है, साथ ही साथ शैक्षिक असमानता में भी कमी

आती है। सहायक तकनीकियों के उपयोग द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार, स्वतंत्र रूप से सीखने में मदद, व शैक्षिक उपलब्धियों में वृद्धि होती है। नियमित विद्यालयों में सहायक तकनीकियों उपयोग में कई बाधक तत्व हैं जिनमें प्रमुख हैं - सहायक तकनीकियों की अनुपलब्धता, सहायक तकनीकियों की उच्च लागत, सहायक उत्पादों के संबंध में अल्प जागरूकता एवं सामर्थ्य की कमी, सहायक उत्पादों की अल्प गुणवत्ता, अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण इत्यादि। नियमित विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सहायक तकनीकों की सर्वसुलभ पहुँच के लिए आवश्यक है कि अधिकार आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाए, सहायक उत्पादों का विश्लेषण किया जाए एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान दिया जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- अब्देलवाहाब, एम. एम., अल-करावी, के. ए. एंड सेमारी, एच. ई. (2025). ए सिस्टेमेटि रिव्यू ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर इनहैसिंग द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी. *जर्नल ऑफ़ डिसएबिलिटी रिसर्च*, 4, 1–12. <https://doi.org/10.57197/jdr-2024-0117>
- जेकब, यू. एस., ओलोगबोसेरे, ओ. ए., ओन्येमाह, टी. एन. एंड एनीयोलोरुंडा, जे. टी. (2024). असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन स्पेशल एजुकेशन: करंट प्रैक्टिसेज एंड इमर्जिंग ट्रेन्ड्स. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ रिसर्च इन स्पेशल एजुकेशन*, 4(1), 30–38. <https://www.rehabilitationjournals.com/special-education-journal/>
- सेनजम, एस. एस. एंड मन्नान, एच. (2023). असिस्टिव टेक्नोलॉजी: द करंट पर्सपेक्टिव इन इंडिया. *इंडियन जर्नल ऑफ़ ऑप्थाल्मोलॉजी*, 71(5), 1804–1809. https://doi.org/10.4103/IJO.IJO_2652_22
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा लागू की गयी योजनाएं. (2023). सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग. भारत सरकार.
- वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूएचओ) एंड यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रन्स फ़ंड (यूनीसेफ). (2022). ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/354357>
- सुवाह्यो, बी. डब्ल्यू., सेत्योसारी, पी. एंड प्राहेर्धियोनो, एच. (2021). बैरीअर असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन इन्क्लूसिव क्लासरूम. *एडवांसिज इन सोशल साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज रिसर्च*, 601, पृष्ठ 23–28. अटलांटिस प्रेस. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211126.004>
- सेनजम, एस. एस., फॉस्टर, ए. एंड बासकारान, सी. (2020). बैरियर्स टू यूजिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजी अमंग स्टूडेंट्स विथ विज़ुअल डिसेबिलिटी इन स्कूल्स फॉर द ब्लाइंड इन दिल्ली, इंडिया. *डिसएबिलिटी एंड रिहैबिलिटेशन: असिस्टिव टेक्नोलॉजी (एडवांस ऑनलाइन पब्लिकेशन)*. <https://doi.org/10.1080/17483107.2020>
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति. (2020). मानव संसाधन विकास मंत्रालय; भारत सरकार.
- मुखोपाध्याय, एस. (2020). उचित समर्थन के साथ समावेशन का अधिकार: विकलांग बच्चों की शिक्षा. अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, लर्निंग कर्व (सितंबर 2020), 82–87.

- अलशाबेब, ए. एम. एंड अलहरबी, ओ. (2019). क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ़ द बेनेफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ़ असिस्टिव टेक्नोलॉजी विथ स्पेशल नीड्स. *एडवांसिस इन सोशल साइंसेज रिसर्च जर्नल*, 6(8), 210–215.
- <https://doi.org/10.14738/assrj.68.6917>
- जगोटा, यू. (2018). रोल ऑफ़ असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन इनक्लूसिव क्लासरूम्स. *जर्नल ऑफ़ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेटिव रिसर्च* 5(6), 164–168. <https://www.jetir.org/view?paper=JETIR1806409>
- अहमद, ए. (2018). परसेप्शन्स ऑफ़ यूजिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजी फ़ॉर स्टूडेंट्स विथ डिसेबिलिटीज इन द क्लासरूम. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ स्पेशल एजुकेशन*, 33(1), 129–139.
- लर्सिल्ल, एस., पुथिनोई, एस. एंड लर्सिल्ल, टी. (2018). फैसिलिटेटर्स एंड बैरियर्स ऑफ़ असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड लर्निंग एनवायरनमेंट फ़ॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. *ऑक्यूपेशनल थैरेपी इंटरनेशनल*, 2018, आर्टिकल आई.डी. 3705946, पृष्ठ 1–9. <https://doi.org/10.1155/2018/3705946>
- एर्देम, आर. (2017). स्टूडेंट्स विद स्पेशल एजुकेशनल नीड्स एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजीज: ए लिटरेचर रिव्यू. *द टर्किश ऑनलाइन जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी*, 16(1), 128–140.
- अलहरबी, एस. (2016). बेनिफिट्स एंड बैरियर्स: इन्कॉरपोरेटिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन एन इनक्लूसिव सेटिंग फ़ॉर प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज इन लैंग्वेज आर्ट्स. *अमेरिकन रिसर्च जर्नल ऑफ़ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज*, 2, 1–11. <https://doi.org/10.21694/2378-7031.16016>
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम. (2016). भारत का राजपत्र असाधारण; 27 दिसंबर 2016.
- वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन एंड यूनिसेफ़. (2015). असिस्टिव टेक्नोलॉजी फ़ॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज: क्रिएटिंग ऑपर्ट्युनिटीज फ़ॉर एजुकेशन, इन्क्लूजन एंड पार्टिसिपेशन (डिस्कशन पेपर). वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन.
- [.https://www.who.int/publications/i/item/9789241509107](https://www.who.int/publications/i/item/9789241509107)
- अडेबिसी, आर. ओ., लिमान, एन. ए. एंड लॉनापो, पी. के. (2015). यूजिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन टीचिंग चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज इन द ट्वेंटी फ़र्स्ट सेंचुरी. *जर्नल ऑफ़ एजुकेशन एंड प्रैक्टिस*, 6(24), 14–20. <http://www.iiste.org>
- अहमद, एफ. के. (2015). यूज ऑफ़ असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन इन्क्लूसिव एजुकेशन: मेकिंग रूम फ़ॉर डाइवर्स लर्निंग नीड्स. *ट्रांससाइंस*, 6(2), 62–77.
- नेशनल काउंसिल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. (एन. डी.). एक्सेसिबिलिटी. एनसीईआरटी. <https://www.ncert.nic.in/accessibility.php>

- साहू, टी. के. एंड प्रधान, एस. आर. (एन. डी.). रोल ऑफ एसेस्टिव यूटेक्नोलॉजी. फॉर इन्क्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया. शिवम कॉलेज ऑफ एजुकेशन .<http://tapansacademe.blogspot.com/>



This is an Open Access Journal / article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC-ND 3.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. All rights reserved

Cite this Article:

श्वेता मौर्या और डॉ. संगीता सिंह, “नियमित विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन में सहायक तकनीकियों की भूमिका” *The Research Dialogue* An Online Quarterly Multi-Disciplinary Peer-Reviewed & Refereed National Research Journal, ISSN: 2583-438X (Online), Volume 4, Issue 2, pp.10-20, July 2025. Journal URL: <https://theresearchdialogue.com/>



THE RESEARCH DIALOGUE

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed & Refereed National Research Journal

ISSN: 2583-438X

Volume-04, Issue-02, July-2025

www.theresearchdialogue.com

Certificate Number July-2025/02

Impact Factor (RPRI-4.73)



Certificate Of Publication

This Certificate is proudly presented to

श्वेता मौर्या और डॉ. संगीता सिंह

for publication of research paper title

“नियमित विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन में सहायक तकनीकियों की भूमिका”

Published in ‘The Research Dialogue’ Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and

E-ISSN: 2583-438X, Volume-04, Issue-02, Month July, Year-2025.

Dr. Neeraj Yadav
Executive Chief Editor

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Editor-in-chief

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at www.theresearchdialogue.com

INDEXED BY

